.।। 12/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय की बहस सुनी गयी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नम्बर 769/892 रकबा 0.8000 है० की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार के खसरा नं. 773 रकबा 2.3800 है० मे से रास्ता बाबत आवेदन किया है। इस हेतु तहसीलदार बाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नं. 769/892 रकबा 0.8000 है० की भूमि में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता उपलब्ध है। धारा 251 ए राज० काश्तकारी अधि० 1955 के अनुसार रास्ता नही होने की दशा में ही नया रास्ता दिया जाने का प्रावधान है। अतः नया रास्ता दिया जाना

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी

3

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	न्याय संगत नही होने से प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ ...ली, जिला - पाली (राज.) ★ सहायक कलेक्टर एवं कार्य... उपखण्ड अधिकारी, पाली

Scanned with CamScanner